राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम – मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर,
नई दिल्ली - 110 012.
फैक्स – 011 – 2584 6462.

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963GOI003913)
Sector – V, Block – AQ, Plot No. 12. Salt Lake, Kolkata – 700 091, WB.
Fax: 033 – 2367 1076, Phone: 033 – 2367 1077(O), 2367 1074(RM).
E-mail: nsc.kolkata.ro@gmail.com, rm.kolkata@indiaseeds.com;
REDG OFF: BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX,
NEW DELHI - 110 012 (INDIA).
Website: www.indiaseeds.com; e-mail – nsc@indiaseeds.com;
PHONES: 011 – 2584 – 2383, 6272, 2692, 6295.

Prodn-11/NSC: KOL/2020-21 **Date-30.09.2020**

NOTICE INVITING TENDER

Sealed tenders are invited from the interested parties/growers for undertaking seed production of Greengram (40 Ha.), Blackgram (25 Ha.), Gram (25 Ha.), Mustard (34 Ha.) and Groundnut (50 Ha.) during Rabi 2020-21 at Sukinda farm having cultivable area of 174 hectare **on share basis**.

The tender form along with terms and conditions can be obtained from NSC, Kolkata on payment of Rs. 500/- (Rupees five hundred only), these can also be downloaded from NSC website www.indiaseeds.com and tender fee deposited along with the tender. The tenderer has to deposit EMD of Rs.-1500/- (Rupees one thousand five hundred only) per hectare while filing the tender in form of Demand Draft (DD) in favour of NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED, payable at Kolkata. Tender fee and EMD can also be deposited in NSC, Kolkata Bank Account No.- 32920585087, IFSC Code- SBIN0012363, Branch-Sector-V, Saltlake, Kolkata through RTGS/NEFT. Duly filled tenders will be received upto 2.30 PM of 07.10.2020 at NSC, Saltlake, Kolkata-700091.

Tenders will be opened at Regional Office, NSC Ltd., Block-AQ, Plot-12, Sector-V, Saltlake, Kolkata-700091 on the same day (i.e.07.10.2020) at 3.00 PM in presence of the participating parties/ growers who wish to be present.

(P.K. Patnaik)
Regional Manager
NSC Ltd, Kolkata

TENDER FORM

ANNEXURE -A

Form for Bid against Tender Notice No. Prodn-11/NSC: KOL /2020-21 Dated- 30.09.2020 Tender opening Date: 07.10.2020 Place- NSC, Kolkata, Subject:- Seed Production of Rabi 2020-21 and Kharif 2021crops at Sukinda farm on share basis.

1.Name of tenderer (Sri/Smt)- ____

2. Permanent Address- ____
____
____________________________________(Copy of address proof must be enclosed).

3. Telephone No. ________________ Mobile No.________________________________

4. PAN No. ____________________________________ (Copy must be enclosed)

5. GST No. ____________________________________ (Copy must be enclosed)

6. ID No. (Voter ID/Aadhar Card, etc.)_________________(Copy must be enclosed)

7. Bank Account details of tenderer/grower- (i) Name of Account holder ______________ (ii) Bank Account No.-________________ (iii) Name of Bank/ Branch____________________ (iii) IFSC code _____________________

8. (a) Tender Fee (Rs. 500/-) - Demand Draft No. __________ Date__________(May be enclosed) or NEFT/RTGS details ____

(b) EMD Amount (Rs. __________) - Demand Draft No. __________ Date__________ (May be enclosed) or NEFT/RTGS details ____________________________________

Signature of the tenderer

Date-

Name: ______________

Annexure-B

SN	Crop	Area (in Ha.)		% Farm share offered (in figures)	% Farm share offered (in words)
		To be cultivated	Area offered by tenderer for cultivation		
Rabi/Summer Season					
1	Greengram (Moong)	40			
2	Blackgram (Urid/ Biri)	25			
3	Bengalgram (Gram)	25			
4	Mustard	34			
5	Groundnut	50			
6	Other Crops				
Kharif Season					
1	Paddy	To be decided at the onset of season			
2	Groundnut				
3	Arhar				
4	Other Crops				

Note:-

I) Tenderer to declare percentage farm share for other crops that it wishes to cultivate or NSC offers for cultivation in subsequent seasons.

II) Area to be cultivated from Kharif 2021 onwards to be mutually decided by farm authorities and the tenderer at the beginning of each season.

III) The above mentioned area may increase or decrease and the same will be taken into account as per actual measurement basis.

IV) The exact location of the plot for cultivation will be in mutual agreement with the Farm authorities.

I/We certify that I/We have read and understood the terms & conditions of this tender thoroughly and I/we agree to all the terms & conditions. The tender is submitted with the signed copy of terms & conditions. Agreement to that terms and conditions on Rs.100/- stamp paper will be submitted after receipt of job order.

Signature of the tenderer

Date-

Name: ________________

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केंद्रीय राज्य फार्म, सुकिंदा, जाजपुर, ओडिशा

समस्त शस्य क्रियाओं व प्रयोग में लाये जाने वाले सभी आदानों की एवज में

<u>हिस्सा आधारित उतपादन पद्धति के लिए नियम व शर्तें ।</u>

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदादाता को धरोहर राशि रूपये 1500/- प्रति है0 मात्र डी.डी. **<u>(जो अधिकृत बैंक द्वारा बना हुआ हो)</u>** द्वारा जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, कोलकाता के नाम देय हो, जमा कराना होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि (EMD) कार्य संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर व **<u>अंतिम निपटान पूर्ण होने</u>** पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। निविदादाताओं को अपना पैन कार्ड व स्थाई पता देना होगा।
2. **अगर किसी निविदादाता की आउटसोर्सिंग के समय में और उसके उपरान्त देय भुगतान के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसकी देय राशि का भुगतान उसके द्वारा नामित व्यक्ति को किया जाएगा जिसको निविदादाता के द्वारा टेंडर भरते समय नामित करना होगा। नामित करने हेतु निविदादाता को 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर संबंधित व्यक्ति को नामित करते हुए इसके साथ उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि जमा करने होगे तथा इस पर नामित व्यक्ति के हस्ताक्षर को निविदादाता के द्वारा प्रमाणित करना होगा।**
3. **निविदादात्ता टेंडर बॉक्स में निविदा डालने के बाद यदि निविदा वापिस लेना चाहता है तो वह निविदा देने के निर्धारित समय से पहले निविदा वापसी का प्रार्थना पत्र दे कर निविदा वापिस ले सकता है परन्तु निर्धारित समय के बाद निविदा वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा। निविदा में उच्चत्तम दर देने वाले सफल निविदादात्ता द्वारा किसी भी कारण से कार्य न करने की अवस्था में जमा अमानत राशि (EMD) वापिस नहीं की जाएगी।**
4. खेती में इस्तेमाल होने वाले आवश्यक सभी इनपुट जैसे बीज, उर्वरक, कृषि रसायन (कीट एंव बीमारी रसायन) स्वयं ठेकेदार के होंगे। बीज फार्म द्वारा भुगतान पर (ग्रोवर प्रोग्राम के अनुरूप) उपलब्ध कराया जायेगा। जिसका भुगतान निविदादाता से <u>70 प्रतिशत देय अग्रिम भुगतान राशि में समायोजित</u> किया जायेगा। **<u>किसान को दिये जाने वाले बीज (planting material) की दर grower programmeमें दी गई पॉलिसी के अनरूप की जाएगी।</u>** पानी नहर की उपलब्धतानुसार उपलब्ध कराया

जायेगा। <u>**प्रस्तावित/ आवंटित क्षेत्र में फार्म पर कृषि कार्यों हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मशीनरी व उपकरण की लिस्ट निविदाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ देनी होगी।**</u>

4(i) यदि किसी कारणवस फार्म सफल निविदादाता को आधारीय/ प्रमाणिक बीज उत्पादन कार्यक्रम का वितरण नही कर पाता है तो ऐसी स्थिति में व्यवसायिक फसलों का कार्यक्रम आवंटन सफल निविदादाता को किया जायेगा, व्यवसायिक फसलों उत्पाद का फार्म हिस्सा ही रखा जायेगा और निविदाता का हिस्सा उनको ले जाना होगा उसका भुगतान फार्म द्वारा नही किया जायेगा।

5. खेती से सम्बंधित समस्त कार्य जैसे जमीन की तैयारी, फसल बुबाई-उर्वरक का इस्तेमाल, पलेवा, सिंचाई, कृषि रसायन का इस्तेमाल, सिंचाई नालियों की साफ सफाई, फसल निराई गुडाई, रोगिंग, फसल की रखवाली, काटाई/गहाई, साफ उत्पादन को खलिहान पर पहुंचा कर उतारने आदि में इस्तेमाल सभी श्रमिक व यांत्रिक आपरेशन निविदादाता को करने होंगे। इन सभी कार्यों में होने वाले खर्च के एवज में फसल उत्पादन (साफ व गुणवत्ता युक्त उत्पादन) के हिस्से की धनराशि प्रतिपूर्ति की जायेगी। जिसका निर्धारण टेण्डर के माध्यम से एक वर्ष 2020-21 के लिये रबी-2020-21 व खरीफ- 2021 सीजन में निर्धारित फसलों के उत्पादन के न्यूनतम हिस्सा मात्रा के आधार पर किया जायेगा। **निविदादाता को उसके देय हिस्से का मूल्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार 70 प्रतिशत आग्रिम भुगतान के रूप में फसल उत्पाद के खलिहान पर प्राप्ति होने पर किया जायेगा तथा शेष 30 प्रतिशत राशि का भुगतान उत्पाद में से बीज रिकवरी प्राप्त होने व फसल उत्पाद की दर निश्चित होने के पश्चात किया जाएगा।** यदि किसी फसल का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में भुगतान निगम की ग्रोवर उत्पादन कार्यक्रम वाली पालिसी के अनुरूप निर्णय लिया जायेगा।

क. यदि भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसी प्रकार का बोनस दिया जाता है तो उसे प्रतिपूर्ति होने वाली राशि में जोडा जाएगा।

ख. किसी अन्य फसल की उपज (निविदाकर्ता का हिस्सा) जिसके लिए भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित नही किया है, उसे संबंधित फसल के नजदीकी कृषि उत्पाद विपणन मंडी में औसतन मूल्य पर लिया जाएगा। 30 दिनों के लिए अधिकतम उपज के आगमन अवधि के दौरान संबंधित फसल की अधिकतम

और न्यूनतम दर का औसतन दर निर्धारित की जाएगी। फसल अधिकतम उपज के आगमन अवधि पर विचार निगम की न्यूनतम खरीद नीति के अनुसार होगा।

ग. जूट एवं सब्जी फसलों के रा सीड (निविदाकर्ता का हिस्सा) क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद के प्रोक्यूरमैंट प्राइस से 20 प्रतिशत कम दर पर खरीदे जायेगे। यदि किसी भी फसल का प्रोक्यूरमैंट प्राइस क्षेत्रीय कार्यालय, सिंकंदराबाद में उपलब्ध नहीं है, तब खरीद मूल्य निगम की निर्धारित प्रोक्यूरमैंट प्राइस के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। किसानों को अग्रिम भुगतान निगम की खरीद नीति के अनुसार जारी किया जाएगा।

घ. यदि बीज फसल परिपक्वता के समय अथवा पूर्व कटाई के समय बारिश अथवा मौसम की अनियमितता से बीज की खेती प्रभावित होती है और रा सीड क्षतिग्रस्त/ फीके रंग के/ खराब हो जाते है, तब ऐसी परिस्थितियों में, निविदाकर्ता के हिस्से के उपज को फार्म ग्रहण नहीं करेगा और कुल उपज में से फार्म के हिस्से की उपज रखने के पश्चात इसे वापस कर देगा। इस प्रकार निविदाकर्ता के खाते में किसी प्रकार के प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

ङ. खलिहान पर रा सीड के भौतिक, दोष की सीमा जैसे क्षतिग्रस्त/ विचलित/ खराब/ फीका/ कीटग्रस्त/सूखा अनाज/ मिटटी के कण इत्यादि अधिक पाए जाते हैं अर्थात 15 प्रतिशत से अधिक पाए जाते है तब ऐसे लाट की सफाई (निविदाकर्ता द्वारा) स्वयं के खर्चेपर करनी होगी और रा सीड गैर-बीज की मात्रा 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त होने वाला गैर-बीज यदि कोई, तो क्रमश: फार्म के हिस्से को रखने के पश्चात संबंधित पार्टी को वापस कर दिया जाएगा ।

च. निविदादाता द्वारा खलिहान पर पहुंचाए कम्बाइन मिक्सचर तथा रोगिंग मैटिरियल की मात्रा में से निविदादाता द्वारा फार्म के लिए कोट की गई मात्रा को रख कर शेष मात्रा को निविदादाता को वापस कर दिया जाएगा ।

छ. फार्म द्वारा raw seed का intake करते समय यहसावधानी रखनी पड़ेगी कि raw seed की quality सही हो एवं कचरा मिट्टी, चूरी, खरपतवार बीजों आदि से पूर्ण तरह मुक्त हो ताकि seed recovery निश्चित सीमा से अधिक आए व processing losses भी कम से कम रहे। हिस्सा आधारित पद्धति से उत्पादित किसानों से प्राप्त raw seed की फसलवार न्यूनतम तय की गई Seed Recovery percentage:-

क्रम स०	फसल का नाम	न्यूनतम seed recovery %
<u>खरीफ फसल</u>		
1	धान	80%
2	मूंग, उर्द, अरहर	78%
3	मूंगफली, तिल	75%
<u>रबी फसल</u>		
1.	मूंग, उर्द	80%
2.	चना, सरसों, तोरिया	78%
3.	मूंगफली	75%

शेष अन्य फसलें 78%

यदि seed recovery निश्चित न्यूनतम सीमा से कम आती है तब एसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति इसका आंकलन करेगी तथा फार्म हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कटौती करने का निर्णय लेगी जिसकी गणना निम्नानुसार की जाएगी।

Rate to be fixed if recovery received less than crop wise percentage fixed

$$\frac{\text{Actual seed recovery X Rate/P.Q}}{\text{Crop wise seed recovery percentage fixed}}$$

6. कृषि प्रक्रिया का निर्धारण, फसल व प्रजाति का चयन आवश्यकतानुसार फार्म द्वारा बिजाई के पूर्व किया जायेगा ।
7. निविदादाता द्वारा सम्बंधित चक के सभी कार्य खेत की तैयारी से लेकर प्राप्त उत्पादन को खलिहान पर पहुँचा कर उतारने तक का कार्यसम्बंधित चक इंचार्ज खण्ड प्रभारी व फार्म अधिकारियों के निर्देशानुसार निर्धारित समयावधि व मापदण्डों के अनुसार करना होगा। सफल निविदादाता यदि कोई भूमि सुधार (जैसे भूमि समतल आदि करना) का कार्य करता है तो उस खर्च को ठेकेदार स्वंय वहन करेगा।
8. निविदादाता को सिंचाई हेतु पानी दिन रात नहर में पानी की सप्लाई में उपलब्ध पानी पर आधारित रहेगा। यदि पानी की कमी होती है तो निविदादाता स्वयं यदि कोई व्यवस्था करता है वह व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा उसका खर्च भी

सफल निविदाता को ही वहन करना होगा। यदि निविदाता फार्म चक पर टयूबवैल लगाता है तो कार्य पूरा होने पर फार्म प्रशासन व निविदाता की सहमति से निणर्य होगा कि टयूबवैल फार्म पर रखने हैं या निविदाता उखाड कर ले जायेगा। टयूबवैल व अन्य मशीन चलाने के लिये बिजली का कनेक्शन लेने के लिये फार्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

9. बीज उत्पादन के लिए पृथककरण दूरी, रोगिंग आदि निर्धारित मापदण्डों के अनुसार निविदाता को चक प्रभारी खण्ड प्रभारी के दिशा निर्देशों के अनुसार करने होगें। बीज प्रमाणीकरण से संबधित बीज प्रमाणीकरण संस्था को देय फीस पहली बार फार्म द्वारा वहन की जायेगी। यदि सही तरीके से रोगिंग न करने के कारण पुन: निरीक्षण किया जाता है तो उसकी फीस निविदाता को भरनी होगी। **यदि कोई क्षेत्र बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा फेल होता है तो उससे प्राप्त फसल उत्पाद में से फार्म का हिस्सा रख कर किसान का हिस्सा किसान को वापिस कर दिया जाएगा।**

10. विभिन्न प्रकार के कार्यों के दौरान किसी भी प्रकार की जन धन की हानि एवंम दुर्घटना की वैधानिक व सम्पूर्ण जिम्मेंदारी निविदाता द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी ईपीएफ, टीडीएस, दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी का दायित्व निविदाता का होगा। यदि, फार्म को किसी मामले में निविदाता की ओर से उस दायित्व निर्वाह में कोई भुगतान करना पडा तो फार्म मय हर्जे, खर्चे को निविदाता को देय राशि से काटने अथवा समायोजित करने को स्वतंत्र होगा ।

11. कटाई, थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाला सम्पूर्ण साफ उत्पाद को सुखाकर बोरी भर कर व सिलाई करके मानक के अनुसार निर्धारित नमी पर रॉ बीज फार्म को देना होगा। उसके उपरांत पल्लेदारी का कार्य फार्म द्वारा कराया जायेगा तथा वारदाना फार्म द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मौसम खराब होने की दशा में यदि अधिक नमी पर बिना साफ किया उत्पाद गोदाम में लगाना पडा तो फार्म द्वारा निर्धारित कमेटी द्वारा नमी का आंकलन करने के बाद निर्धारित आवश्यक कटौती की जायेगी ।

12. उत्पादन को भण्डारण के समय फार्म द्वारा निर्धारित मानक नमी पर रॉ बीज स्टोर में लिया जायेगा।

13. संबधित क्षेत्र में स्थित समस्त चल अचल सम्पति की सुरक्षा की जिम्मेवारी निविदाता की होगी, वह इस बाबत एक हल्फनामा (undertaking) देगा व यथास्थिति में कार्य पूर्ण होने पर इन्हें वापस फार्म को सम्भलवायेगा। फार्म की उक्त चल अचल सम्पति का निविदाता व्यवसायिक उपयोग नहीं करेगा। तथा कोई

स्थाई निमार्ण कार्य नहीं करेगा। फार्म से संबधित क्षेत्र की संपत्तियों में किसी प्रकार के नुकसान, चोरी आदि की भरपाई निविदाता से वसूली जायेगी।

14. संबधित प्रक्षेत्र पर पशुधन एवंम अन्य क्रियाओं की अनुमति नहीं होगी।
15. संबधित प्रक्षेत्र पर कौन सी फसल व किस्म कितने प्रक्षेत्र में ली जानी है उसका निर्धारण फार्म प्रबंधन द्वारा किया जायेगा। तथा फसल का क्षेत्र, बुवाई का समय मौसम की अनुकूलता व प्रतिकूलता एंव सिंचाई पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए फार्म प्रबंधन द्वारा घटाया व बढाया जा सकता है।
16. निविदा में दिये गये एरिया को कम व ज्यादा करने एवं निविदा स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार फार्म निदेशक को होगा।
17. फसल कटाई के उपरांत पशु भेड बकरी चराई से जो आय प्राप्त होगी वह फार्म की होगी।
18. फार्म से कृषि उपकरण देने या न देने का निर्णय फार्म का होगा यदि फार्म का कृषि उपकरण मशीनरी उपयोग में आई तो उसका निर्धारित किराया फार्म में जमा कराना होगा।
19. उत्पादित फसलों से उत्पन्न फसलों का नीरा गूणा (भूसा व तूड़ी) निविदाता का होगा जिसका निस्तारण गहाई के 15 दिवस के अन्दर वह स्वंय करेगा।
20. फसल कटाई, गहाई आदि का कार्य निर्धारित समय सीमा एवं फार्म प्रतिनिधि की उपस्थिति में करना होगा।
21. **यदि फार्म के अधिकारियों को लगता है कि टेंडर के हिस्से पर लक्ष्य से** कम या कोई उत्पादन नहीं **आता है,** तो ऐसी स्थिति **में फार्म द्वारा** एक कमेटी **गठित की** जाएगी जो आसपास के क्षेत्रों में उस फसल की उत्पादकता का विश्लेषण करेगी **तथा समिति द्वारा कम उत्पादन आने के कारणों की समीक्षा की जायेगी। यदि निविदाता की तरफ से फसल उत्पादन में किसी भी प्रकार की कमी पायी जाती है तब निविदाता इस कमी की भरपाई करेगा जिसका आकलन फार्म द्वारा गठित कमेटी करेगी।**
22. निविदाता को उर्वरक का उपयोग मृदा परीक्षण रिर्पोट के आधार पर करना होगा तथा बायोफर्टीलाइजर भी अधिकतर क्षेत्र में प्रयोग करना होगा।
23. निविदाता द्वारा कीट व बीमारी प्रबंधन के लिये अधिकतर क्षेत्र में आई.पी.एम. प्रक्रिया अपनानी होगी ।

24. फसल उत्पादन में होने वाले नुकसान व चोरी आदि की जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
25. यदि किसी चक में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र/थेडी है तो निविदाता द्वारा उक्त क्षेत्र से कोई छेडछाड नहीं की जायेगी तथा कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की खनन गतिविधि नहीं की जायेगी।
26. निविदाता को कार्य के किसी भी क्षेत्र को सबलैट करने का अधिकार नहीं होगा।
27. हिस्सा आधारित खेती में इस्तेमाल आउटसोर्सिंग का कार्य फसल वर्ष-2020-21 (रबी- 2020-21, खरीफ-2021) के लिए होगा भविष्य में बोर्ड की स्वीकृति मिलने पर यह आउटसोर्सिंग का कार्य अन्य एक वर्ष के लिए आपसी सहमति से बढाया जा सकता है।
28. यदि निविदाताकर्ता द्वारा निर्धारित कार्य उचित समय पर नहीं किया जाता है, तब फार्म निविदाताकर्ता के जोखिम एंव लागत पर निर्धारित कार्य संचालन का अधिकार होगा और निविदाकर्ता को प्रतिपूर्ति किये जाने वाली अंतिम राशि से कार्य संचालन की लागत के साथ-साथ 5 प्रतिशत प्रवेक्षण प्रभार की भी कटौती की जाएगी। यदि वह एक सीजन में इस प्रकार की गलती तीन बार दोहराता है तब बिना कोई सूचना के उसका करार समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। उसे भविष्य में निविदा में भी भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा, साथ ही उसकी धरोहर राशि भी जब्त कर दी जाएगी।
29. **निविदाकर्ता को उसके द्वारा खरीदे जाने वाले 500/- रू० के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर इन नियमों व शर्तों को करार के रूप में हस्ताक्षर करना होगा। मूल करार फार्म के पास रहेगा और उसकी प्रमाणित प्रति निविदाकर्ता को दी जायेगी।**
30. विशेष प्राकृतिक आपदा/परिस्थितियां जिनका पुर्वानुमान/ नियंत्रण /निदान सम्भव नहीं हो, की स्थिति में यदि निविदाता अनुबंध की शर्तों को पूरा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फार्म द्वारा गठित समिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जायेगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
31. **नियमानुसार अंतिम भुगतान से पहले TDS, सभी कर व अन्य कटौतिया काटने के बाद ही भुगतान किया जाएगा**
32. नाली के पानी का स्वतंत्र प्रवाह, उसका भंडारण व वितरण का संपूर्ण अधिकार फार्म प्रशासन का होगा।
33. समय समय पर भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों/आदेशों की निविदादाता द्वारा अनुपालना करनी होगी।

34. इस निविदा दस्तावेज के नियम व शर्तों में किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए सिविल/आपराधिक कार्यवाही का सामना करने का उतरदायित्व निविदादात्ता पार्टी का होगा।

35. पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा नामित एकल आविट्रेटर का निणर्य अंतिम होगा जो कि पक्षकारों को मान्य होगा। न्यायालय की कार्यवाही और मध्यस्थता राष्ट्रीय बीज निगम के केंद्रीय राज्य फार्म/इकाई के क्षेत्राधिकार में ही मान्य होगी ।

निविदाता के हस्ताक्षर | नामित फार्म प्रतिनिधि